

**कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)**

**:: परिपत्र ::**

क्रमांक : क्यू/दो-12-15/2023-24

भोपाल, दिनांक अगस्त, 2024

प्रत्येक वर्ष की भांति राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2024 दिन गुरुवार को प्रातः 08:00 बजे प्रधान जिला न्यायालय परिसर भोपाल में ध्वजारोहण कार्यक्रम गरिमामयी ढंग से सम्पन्न किया जाना है।

(2) जिला मुख्यालय भोपाल में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण व जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय एवं संबद्ध अनुभाग में पदस्थ समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकगण तथा विधिक सहायता अधिकारी सहित समस्त स्टॉफ को सूचित किया जाए कि वे ध्वजारोहण कार्यक्रम में दिनांक 15.08.2024 को प्रातः 07:45 बजे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

(3) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे समस्त अभिभाषकगण को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधान जिला न्यायालय, भोपाल में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता करने का कष्ट करें।

*Sd*  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 08 अगस्त, 2024

5837

पृष्ठांकन क्रं. /दो-12-15/2023-24

प्रतिलिपि :-


(1) प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल(म.प्र.) एवं समस्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की ओर उनकी पदस्थापना पर पदस्थ उप प्रशासनिक अधिकारी व समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक सहित कार्यक्रम में सहभागिता हेतु प्रेषित है।

(2) विशेष न्यायाधीश, (अ.जा.,अ.ज.जा. अत्या.निवा.अधि.)भोपाल/प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग की ओर राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2024 को न्यायालय भवन पर शासन के निर्देशानुसार रोशनी कराये जाने तथा ध्वजारोहण कार्यक्रम की आवश्यक तैयारियों कराने को प्रेषित है।

(3) समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल की ओर कार्यक्रम में सहभागिता हेतु प्रेषित है।

(4) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, बैरसिया जिला भोपाल की ओर राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2024 को न्यायालय भवन पर शासन के निर्देशानुसार रोशनी कराये जाने तथा जिला मुख्यालय की भांति बैरसिया में भी ध्वजारोहण की आवश्यक तैयारियों कराकर कार्यक्रम संपन्न करने को प्रेषित है।

- (5) समस्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी(स्थापना,प्रतिलिपि,मालखाना,ग्रंथालय, अभिलेखागार, सांख्यिकीय एवं कम्प्यूटर अनुभाग) भोपाल/बैरसिया की ओर स्थानीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (6) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल(म.प्र.) की ओर विधिक सहायता अधिकारी एवं जिला विधिक प्राधिकरण, भोपाल के समस्त स्टाफ सहित ध्वजाराहेण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (7) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, भोपाल की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (8) समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड तथा प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भोपाल/बैरसिया की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (9) प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी, भोपाल की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (10) समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकगण की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (11) लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता एवं समस्त अपर शासकीय अधिवक्तागण की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (12) उपसंचालक/लोक अभियोजक एवं समस्त सहायक लोक अभियोजकगण भोपाल की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (13) मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण तथा वरिष्ठ अभिभाषकगण की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (14) जिला अभिभाषक संघ, भोपाल के अध्यक्ष एवं समस्त अभिभाषकगण की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
- (15) अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ की जिला शाखा, भोपाल/प्रांतीय महासचिव मध्यप्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ/अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी सहकारी साख समिति/अध्यक्ष म.प्र. चतुर्थ वर्ग न्यायिक कर्मचारी संघ की जिला शाखा, भोपाल की ओर ध्वजारोहण कार्यक्रम में अपने पदाधिकारियों सहित सहभागिता के लिए प्रेषित है।
- (16) कार्यपालन यंत्री, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर दिनांक 15.08.2024 के लिये शासन के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायालय भवन, भोपाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रेषित है।
- (17) पुलिस अधीक्षक/रक्षित निरीक्षण, जिला भोपाल की ओर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में "गार्ड ऑफ ऑनर" कि लिए दिनांक 15 अगस्त, 2024 को प्रातः 07:45 बजे सशस्त्र गार्ड दल उपलब्ध कराने के लिये प्रेषित है।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल (म.प्र.)